

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:चि.प्र./योग्यता प्र0प0/2025/ 9

दिनांक 3/1/25

परिपत्र

**विषय:—निदेशालय स्तर पर अधिकारियों/कर्मचारियों को गणतंत्र दिवस (26 जनवरी 2025) पर आयोजित समारोह में प्रशस्ति पत्र प्रदान किये जाने के संबंध में।**

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निदेशालय स्तर पर दिनांक 26 जनवरी 2025 को आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह पर विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाना है।

इस हेतु आपके अधीन चिकित्सा संस्थानों/कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त करने के पश्चात आपकी टिप्पणी कर निदेशालय के ई-मेल आईडी [admh-ha-rj@rajasthan.gov.in](mailto:admh-ha-rj@rajasthan.gov.in) पर भिजवाया जाना सुनिश्चित करें। आपकी टिप्पणी के अभाव में आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, तथा अधिकतम दो कार्मिकों के नाम ही संलग्न प्रपत्र में दिनांक 21.01.2025 तक अग्रेषित करें।

- संलग्न:— 1. आवेदन पत्र,  
2. दिशानिर्देश संलग्न प्रपत्र

निदेशक (जन.स्वास्थ्य)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें,  
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक:चि.प्र./योग्यता प्र0प0/2025/ 9

दिनांक 3/1/25

**प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:**

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, विभाग, राज0 जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव,संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ग्रुप-2 विभाग, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, मिशन निदेशक (एनएचएम), मुख्यालय।
5. निजी सचिव, प्रबंध निदेशक (आरएमएससीएल), मुख्यालय।
6. निजी सहायक, सीईओ RSHAA
7. निजी सहायक, निदेशक आईईसी: एवं परियोजना निदेशक RSACS
8. आयुक्त (राजमेस/खाद्य सुरक्षा/औषधि), मुख्यालय।
9. निजी सहायक, निदेशक(जनस्वा), अराजपत्रित/आर.सी.एच/एड्स/सीफू
10. समस्त मेडीकल कॉलेज, प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक,
11. समस्त अधीक्षक संलग्न चिकित्सालय, राजस्थान।
12. समस्त अति0 निदेशक/संयुक्त निदेशक, मुख्यालय।
13. समस्त संयुक्त निदेशक, जोन राजस्थान।
14. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
15. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, राजस्थान।
16. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को लेख है कि विभाग की बेबसाईअ पर अपलोड करे साथ ही संबंधित जिलो को भी अपलोड करे।
17. रक्षित पत्रावली

Document certified by RAVI  
PRAKASH MATHUR  
Signature: 2504@rajasthan.gov.in  
PRAKASH MATHUR  
Designation: Director  
Date :02-01-2025 06:00:29

## आवेदन प्रपत्र

26 जनवरी 2025 को गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर निदेशालय स्तर पर प्रशस्ति प्रमाण- पत्र प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में अधिकारी/कर्मचारियों द्वारा भरा जाने वाला प्रपत्र

आवेदनकर्ता का विवरण			
क्र० स०	विवरण		
	नाम		
	पिता का नाम		
	पदनाम		
	जन्म तिथि		
	टेलीफोन नम्बर		
	निवास का पता		
	राजकीय कार्य में नियुक्ति का प्रकार (नियमित/संविदा)		
	राजकीय सेवा में प्रथम नियुक्ति दिनांक		
	एसएसओ आईडी		
	सेवा का नाम (राजपत्रित/अराजपत्रित)		
	वर्तमान वेतन एवं बे मेट्रिक्स लेवल सहित		
	वर्तमान पद पर नियुक्ति की दिनांक मय आदेश की प्रति		
	पदस्थापन का नाम चिकित्सा संस्थान/कार्यालय		
	प्रशस्ति पत्र हेतु चयन किये जाने का		

संबंधित उच्चाधिकारी (बीसीएमओ/पीएमओ/अनुभाग अधिकारी) द्वारा की जाने वाली टिप्पणी			
	वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन विवरण (विगत 3 वर्ष)		
	आवेदनकर्ता के विरुद्ध जांच/शिकायत/FIR/ न्यायिक प्रकरण का विवरण (यदि है तो)		
	पूर्व में प्राप्त अन्य कोई प्रमाण पत्र का विवरण (यदि है तो )		
	अन्य कोई सुसंगत सूचना		
	संयुक्त निदेशक/सीएमएचओ/संबंधित अधिकारी का अनुशंषा		

कार्यालयाध्यक्ष/नियंत्रण अधिकारी  
के हस्ताक्षर मय सील एवं दिनांक



## दिशा-निर्देश

### पुरुस्कार हेतु मापदण्ड:-

1. **चिकित्सा-** ओपीडी, आईपीडी एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम में सहभागिता एवं उपलब्धि ।
2. **नर्सिंग स्टाफ-** परिवार कल्याण कार्यक्रम, टीकाकरण कार्यक्रम, एनसीडी एवं राष्ट्रीय कार्यक्रमों में सहभागिता एवं उपलब्धि ।
3. **मंत्रालयिक संवर्ग -** पीयूसी के निष्पादन एवं बकाया पीयूसी एवं लेखा सम्बन्धी कार्य में निस्तारण की प्रगति ।
4. **लेखाकर्मी -** लेखा सम्बन्धी कार्य (बीएफसी के प्रस्ताव, बजट की मांग एवं विभिन्न भुगतान) निस्तारण की प्रगति ।
5. **सूचना सहायक/कम्प्यूटर ऑपरेटर -** पीसीटीएस सॉफ्टवेयर में प्रविष्टि की स्थिति ।
6. अधिकारी/कर्मचारी/कार्मिक के विरुद्ध कोई विभागीय जाँच विचाराधीन ना हो ।
7. अधिकारी/कर्मचारी/कार्मिक को हाल ही में किसी दण्ड से दण्डित नहीं किया गया हो ।
8. गत तीन वर्ष के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हो तथा कार्य बहुत अच्छा/उत्कृष्ट हो ।
9. गत एक वर्ष में उनका कार्य एवं व्यवहार अच्छा रहा हो ।
10. गत तीन वर्षों में जिन्हें राज्य स्तर पर प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जा चुका है, उनके नाम नहीं भिजवाये जाये ।

इसके साथ ही यदि अधिकारी/कर्मचारी/कार्मिक ने पूर्व में किसी प्रकार का पुरुस्कार/प्रशस्ति पत्र प्राप्त किया हो तो उसका उल्लेख भी किया जावे साथ ही नियंत्रण अधिकारी द्वारा कार्मिक के कार्य एवं व्यवहार के लिए टिप्पणी आवश्यक है ।